भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1024
03 दिसम्बर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या योजनाएं

1024. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जनजातीय क्षेत्रों/अंचलों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेष रूप से मध्य प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही परिवार कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) मध्य प्रदेश में पूरी आबादी के लिए लागू की जा रही परिवार कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ग) देश में जनजातीय आबादी के लाभ के लिए शुरू की जाने वाली ऐसी नई पहलों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग) "सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल" राज्य का विषय है इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करना मध्य प्रदेश सहित संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायगी को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

जाति/ जनजाति पर विचार किए बिना आबादी के सभी वर्गों के लिए पूरे देश में सभी परिवार नियोजन सेवाएं सार्वभौमिक रूप से प्रदान की जाती हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत कुछ प्रमुख पहलें हैं:

1. **विस्तारित गर्भ निरोधक विकल्प**: वर्तमान गर्भ निरोधकों की श्रृंखला में कंडोम, संयुक्त गोलियां, आपात गर्भनिरोधक गोलियां, अंतरगर्भाशयी गर्भनिरोधक डिवाइस (आईयूसीडी) और इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक (अंतरा प्रोग्राम) तथा सेंटक्रोमेन (छाया) नामक नए गर्भ निरोधकों को भी शामिल किया गया है।
2. **बंध्याकरण स्वीकारकर्ता क्षतिपूरक योजना** के तहत बंध्याकरण करवाने के लिए लाभार्थी को मेहनताने की हानि के लिए क्षतिपूर्ति और सेवा प्रदाता को भी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
3. **प्रसवोत्तर अंतरगर्भाशयी गर्भनिरोधक डिवाइस (पीपीआईयूसीडी)** पहल योजना के तहत प्रसवोत्तर पीपीआईयूसीडी सेवा प्रदान की जाती है।
4. लाभार्थियों को **आशाकार्मियों द्वारा गर्भनिरोधकों की घर पर प्रदानगी योजना** चलायी जा रही है ।

5. **परिवार नियोजन संभार प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफपी-एलएमआईएस):** स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन संबंधी सामग्री के सुचारू पूर्वानुमान, खरीद और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रतिबद्ध सॉफ्टवेयर शुरू किया गया है।
6. **मिशन परिवार विकास:** यह कार्यक्रम गर्भ निरोधक और परिवार नियोजन सेवाओं की निरंतर बढ़ रही सुलभता के लिए 13 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। ये राज्य सात उच्च संकेन्द्रण राज्य (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और असम) और 6 पूर्वोत्तर राज्य (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नगालैण्ड और मिजोरम) हैं।
7. सभी राज्यों/जिलों में गुणवत्ता आश्वासन समितियों की **स्थापना करके परिवार नियोजन सेवाओं में परिचर्या की गुणवत्ता** सुनिश्चित करना।

मध्य प्रदेश राज्य की रिपोर्ट के अनुसार, परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत राज्य में निम्नलिखित योजनाएँ लागू की गई हैं:

I. मिशन परिवार विकास (एनपीवी) योजना: इस योजना के तहत निम्नलिखित पहल शामिल हैं:-
   क. परिवार नियोजन पद्धतियों के चयन के लिए लाभार्थियों को बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान किया जाता है।
   ख. नई पहल किट- नई पहल किट नवविवाहित जोड़ों को प्रदान की जाती हैं, जिसमें परिवार नियोजन के बीच अंतर करने वाली वस्तुएं (गर्भनिरोधक) शामिल हैं।
   ग. सास बहू सम्मेलन- परिवार नियोजन पद्धतियों के प्रचार और परामर्श करने के लिए, गाँव में "सास बहू सम्मेलन" आयोजित किया जाता है, जिसमें लाभार्थी और निकट संबंधियों को आमंत्रित किया जाता है।
   घ. स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में कंडोम बॉक्स की स्थापना।

II. जन्म के समय अंतराल सुनिश्चयन (ईएसबी) योजना - शादी के बाद पहले बच्चे के जन्म में 2 साल का अंतर और पहले और दूसरे बच्चे के बीच 3 साल का अंतर सुनिश्चित करना। 2 बच्चों के बाद स्थायी नसबंदी का विकल्प। आशा कर्मियों को अपने गांव में जन्म अंतराल सुनिश्चित करवाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

III. परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना (एफपीआईएस) - एफपीआईएस योजना के तहत लाभार्थी को नसबंदी की विफलता और नसबंदी ऑपरेशन के कारण मृत्यु के मामले में मुआवजा दिया जाता है।

IV. गर्भ निरोधकों की घर पर प्रदानगी (एचडीसी) योजना- इस योजना के तहत आशा कर्मी ग्राम स्तर पर घर-घर जाकर लाभार्थियों को गर्भनिरोधक वितरित करती है।

*****